राज्य क्षेत्र	करोड़ रुपए
5. योजना कार्यान्वयन हेतु सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण	5.00
6. क्षेत्रीय मार्गों का उन्नयन (आंतरिक और बाहरी ग्रिडें)	176.00
7. विद्युत विकास	(चर्चा अधीन)
8. दिल्ली महानगरीय क्षेत्र और प्राथमिकता नगरों में शहरी अधसंरचना का सुदृढ़ीकरण और सुधार	111.00
योग :	1116.00
केन्द्रीय क्षेत्र :	
राष्ट्रीय राजमार्ग (भूतल परिवहन मंत्रालय)	259.00
एक्सप्रेस मार्ग (भूतल परिवहन मंत्रालय)	95.00
रेल मार्ग (रेल मंत्रालय)	443.00
दूर संचार (दूर संचार विभाग)	
(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में	375.00
(ख) काउन्टर मैग्नेट क्षेत्र	155.00
योग :	1327.00

स्वतंत्रता सेनानियों को आवास का आवंटन

687. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता सेनानियों को दिल्ली में आवास के आवंटन संबंधी नीति क्या है ;

(ख) इस योजना के अधीन किन-किन स्वतंत्रता सेनानियों को आवास आवंटित किये गये हैं ;

(ग) उन्हें कितनी अवधि के लिए आवास का आवंटन किया जाता है और उनसे आवास किराये की वसूली किस प्रकार से की जाती है; और

(घ) उनके अलावा ऐसे अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या कितनी है जिन्होंने दिल्ली में आवास के आवंटन के लिए अभ्यावेदन किया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) विवरण I तथा II के अनुसार। (नीचे देखिए)

(घ) इस प्रकार के कोई आंकड़े नहीं रखे गये हैं।

विवरण-I

सं० 12016(2)/80-नीति-II (खण्ड-III (I)

भारत सरकार
सम्पदा निदेशालय

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 85

कार्यालय ज्ञापन

विषय -स्वतन्त्रता सेनानियों को साधारण पूल आवास के आवंटन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों का पुनरीक्षण।

मंत्रिमंडल की आवास-समिति ने 12 सितम्बर, 1985 को आयोजित अपनी बैठक में स्वतन्त्रता सेनानियों को साधारण

पूल आवास के आवंटन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों का पुनरीक्षण किया था और निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत अनुमोदित किए गए हैं :—

2. अखिल भारतीय स्तर के प्रतिष्ठित स्वतन्त्रता सेनानियों को साधारण पूल रिहायशी आवास आवंटित किए जा सकते हैं बशर्ते कि:—

(क) उनके स्वयं के नाम पर या उनके परिवार के सदस्यों अथवा आश्रितों के नाम पर भारत में कहीं भी कोई मकान अथवा फ्लैट न हो।

(ख) स्वतन्त्रता सेनानी के वास्तविक मेडिकल उपचार हेतु, जिसके लिए स्वतन्त्रता सेनानी के राज्य निवास स्थान में पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं हो, उनके द्वारा आवास की आवश्यकता है।

(ग) गृह मंत्रालय द्वारा मामले की विशेषत: सिफारिश की गई हो। गृह मंत्रालय द्वारा स्वतन्त्रता सेनानी को आवास के आवंटन की अनिवार्यता का विस्तृत औचित्य दिया जाना चाहिए तथा प्रभारी मंत्री, गृह मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।

(घ) आवास का प्रकार टाईप डी और उससे नीचे सीमित होगा।

(ङ) अनुज्ञप्ति शुल्क मूल नियम–45क के अन्तर्गत वसूल किया जाएगा और आवंटन की अवधि उस समय तक समिति होगी जिसके लिए स्वतन्त्रता सेनानी का दिल्ली में मेडिकल उपचार किया जाना है। इसकी अधिकतम अवधि दो वर्ष तक हो सकती है।

3. उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सभी आवंटनों का पुनरीक्षण किया जाए। भविष्य में आवंटन भी उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सुनिश्चित किए जायें।

हस्ता०/–
(वी०एस० रामन)
सम्पदा उप निदेशक

सेवा में,

1. सहायक सम्पदा निदेशक (सी.डी.एन.) (अनुभाग)।

2. सम्पदा निदेशालय में सभी आवंटन अनुभाग, हास्टल/रिजन अनुभाग।

3. सभी उप-निदेशक।

4. गृह मंत्रालय (श्री ई.एन. सिंह, अवर सचिव) (स्वतन्त्रता सेनानी अनुभाग)।

5. श्री एच०आर० गोयल, उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।

विवरण II

स्वतंत्रता सेनानी जिनके आधिपत्य में साधारण पूल रिहायशी आवास हैं।

क्र०सं०	स्वतंत्रता सेनानी का नाम	परिसर संख्या	आबंटन/कब्जा लेने की तारीख	आबंटन की अवधि
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती मोहिनी सहगल	डी–II 67 पंडारा रोड	9–1–81	निश्चित नहीं की गई है
2.	श्री शिवदत्त उपाध्याय	ए–177, पंडारा रोड	10–8–81	3 वर्ष
3.	श्री एच. डी. मालवीय	डी–II/44 काकानगर	21–5–81	निश्चित नहीं की गई है
4.	श्री एस. एन. मिश्रा	ए–23/132, लोधी रोड	23–9–82	–वही–

1	2	3	4	5
5.	श्री जी. एन. सिंह	ए–23/159, लोधी रोड	12–4–83	–वही–
6.	श्रीमती कौशल्या देवी	222, लक्ष्मीबाई नगर	21–1–84	–वही–
7.	श्री हरिकिशोर ठाकुर	एच–59, पंडारा रोड	31–1–84	–वही–
8.	श्री काशीराम	9–बी, टेलीग्राफ लेन	1–8–81	लाइसेंस रद्द
9.	श्रीमती शकुंतला देवी	756, लक्ष्मीबाई नगर	24–2–84	निश्चित नहीं की गई है
10.	श्री दिग्विजय नारायण सिंह	जी–187 (जी–1747) नानकपुरा	25–2–84	–वही–
11.	सय्यद मीर कासिम	6, लोधी रोड	15–5–90	2 वर्ष
12.	बाल्मीकी चौधरी	ए–119, पंडारा रोड	13–6–84	निश्चित नहीं की गई है
13.	अर्जुन सिंह भदोड़िया	सी–221, नानकपुरा	21–3–85	–वही–
14.	मधु लिमये	बी–11, पंडारा रोड	13–5–85	–वही–
15.	रामायण राय	40, सीमल बाग अपार्टमेंट	21–8–85	2 वर्ष
16.	बी. एस. दरबार	ए–23/211, लोधी रोड	24–8–85	उल्लेख नही किया गया है
17.	एच. एन. बहुगुणा	ए–21/93, लोधी रोड	6–12–85	2 वर्ष
18.	श्रीमती सुभद्रा जोशी	डी–II/27, काकानगर	6–8–86	2 वर्ष लाइसेंस रद्द (सी सी ए मामला)
19.	इन्दरदीप सिन्हा	ए–263, पंडारा रोड	7–11–86	2 वर्ष
20.	तुलमोहन राम	ई–139, नानकपुरा	6–12–86	–वही–
21.	बी. डी. जत्ती	एबी–2, डा० जाकिर हुसेन मार्ग	30–6–87	1–3–89 से 3 और वर्षों के लिए मकान में बने रहने की अनुमति
22.	जैनेन्द्र कुमार जैन	डी–1/85, भारती नगर	30–7–87	रद्द सीसीए का मामला
23.	लक्ष्मीनारायण शुक्ला	337, लक्ष्मीबाई नगर	—	2 वर्ष
24.	सादिक अली	ए–23/139, लोधी कालोनी	17–7–90	–वही–
25.	ब्रह्म प्रकाश	एस-XII/1145, आर.के. पुरम	23–4–88	–वही–
26.	यशपाल	एस–XII/37, आर.के. पुरम	12–5–88	–वही–
27.	बारियम सिंह ठाकुर	एस-IX/4/8 आर.के. पुरम	22–6–88	–वही–
28.	श्रीमती शकुंतला डोगरा	ए–21/121, लोधी कालोनी	26–9–88	–वही–
29.	जगन्नाथ मिश्रा	बी–50, नानकपुरा	28–6–88	–वही–
30.	गौरी शंकर राय	4, कालीबाड़ी अपार्टमेंटस	1–12–88	–वही–
31.	श्रीमती ममता आर. मेहता	351, लक्ष्मीबाई नगर	3–12–88	–वही–
32.	एस. आई. सिंह	बी–211, नानकपुरा	7–12–88	–वही–

1	2	3	4	5
33.	नागेश्वर द्विवेदी	एस,IV/397 आर.के.पुरम	13–12–88	–वही–
34.	जगदीश चन्द्र	एस–VII/190 आर.के पुरम	—	–वही–
35.	एम. आई.द्विवेदी	13(II) कालेज रोड	6–6–75	अवधि तय नहीं की गई है ।
36.	उमिलेश झा	सैक्टर–III/508ए आर.के. पुरम	6–9–88	2 वर्ष
37.	जी. एस. ढिल्लों	सी–1/II, पंडारा रोड	19–7–90	एक वर्ष सी.सी.ए. का मामला
38.	सरदूल सिंह	ए–155, पंडारा रोड	17–6–89	–वही–
39.	अम्बिका प्रसाद सिंह	ए–99, पंडारा रोड	11–8–89	–वही–
40.	कैलाशपति राय	8–बी, रंजीत प्लेस	5–10–89	एक वर्ष
41.	भगत सिंह	बी–66, पंडारा रोड	3–11–89	2 वर्ष
42.	जेंड. ए. अहमद	एच–107, पंडारा रोड(IV)	8–12–88	–वही–
43.	बी.के. बरुआ	ए–21/95, लोधी रोड (डी)	20–2–86	3 वर्ष
44.	जयदत्त वैला	एस–VIII/53, आर.के. पुरम	26–12–89	2 वर्ष
45.	मौलवी मेंहदी हसन	एच–1(एम एस), मिंटो रोड	26–4–90	11–12–91 तक
46.	गुलाम रसूल कर	ए–23/145, लोधी रोड (डी)	31–5–90	2 वर्ष
47.	विजय कुमार	137–डी, थाम्सन रोड	19–11–90	–वही–
48.	श्रीमती सत्यवती	2, टेलीग्राफ लेन	18–9–90	–वही–
49.	श्रीमती लज्जा वर्मा	एस–IV/1045, आर.के. पुरम	2–2–91	–वही–
50.	सतपाल कपूर	एस–IV/665, आर.के. पुरम	12–2–91	–वही–
51.	रमेश सिन्हा	एस–IV/1081, आर.के. पुरम	14–6–91	–वही–
52.	टोखा राम	1077, बी.के.एस. मार्ग (टी–सी)	12–6–91	–वही–
53.	पुरुषोत्तम काकोडकर	ए–23/133, लोधी कालोनी	18–6–91	–वही–
54.	इन्द्र सेन सिंह	एस–111/91, सादिक नगर	19–8–91	–वही–
55.	रमाकान्त शास्त्री	18–डी, विल्सन स्क्वेयर (IV)	27–6–91	–वही–
56.	विधु भूषण सेन	एस–IV/149, आर.के. पुरम	17–7–91	–वही–
57.	स्वर्गीय राजनारायण	207, लक्ष्मी बाई नगर	4–10–88	2 वर्ष सी.सी.ए.